राजकुमारी बनाम हेतराम

प्रार्थना - 212 RTAct 202/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज #2018/00076	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/10/2020	प्रार्थीनी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 212 RT Act पेश कर निवेदन किया है कि आ.ख.नं. 1172/0.22, 1173/0.03, 1174/0.17, 1255/0.01 वाके ग्राम कनावर तहसील वयाना में स्थित है। उक्त अराजी वादनी/प्रार्थीनी को अपने मृतक पिता बालकिशन से जरिए विरासत प्राप्त हुई है। बालकिशन की मृत्यु बाद दाखिल खारिज माता कलावती व वादनी/प्रार्थीनी के नाम नामान्तरण दर्ज हो गया था। तदुपरान्त माता कलावती ने प्रार्थीनी के हक में रिलीजडीड कर दिया जिसके आधार पर वादनी/प्रार्थीनी [illegible] खातेदार काश्तकार काबिज अराजी है। मुतदावी अराजी से प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है परन्तु सवर्ण जाति (गुर्जर) लोभी, पैसे वाले व्यक्ति है उक्त अराजी को हड़पने की बदनीयती पर आ गई है। दिनांक 17/9/2018 को प्रतिवादीगण ने वादनी प्रार्थीनी को बमुकाम कनावर धमकी दी कि तुम्हारी बोई हुई फसल को जबरन काटकर ले जायेंगे। जमीन को उबड़-खाबड़ कर नाकाबिल काश्त कर देंगे। प्रतिवादीगण, अप्रार्थीगण अपनी उक्त मंशा में सफल हो गए तो प्रार्थीया को सख्त हक तलफी है। अपूरणीय क्षति होगी। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थीनी स्वीकार कर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक विवादित अराजी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र [illegible] कर अप्रार्थीगण [illegible] तलब किया। अप्रार्थीगण के विरुद्ध आदेशिका दिनांक 12/9/2019 से एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। इनके विद्वान अभिभाषक प्रार्थी को	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.01.19 16:24:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

तारीख हुक्म	राजकुमारी बनाम हेतराम प्रा०पत्र - 212 202/18 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज # 2018/00076	नम्बर अहकाम हुक्म में
	एक पक्षीय सुना। पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत 2069-2072 बाबत ग्राम कनावर का अवलोकन किया। विवादित आराजी वादनी / प्रार्थिनी की खातेदारी में दर्ज अभिलेख है। अप्रार्थीगण का विवादित आराजी पर से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थिनी के पक्ष में बखूबी साबित है। प्रार्थना पत्र प्रार्थिनी स्वीकार योग्य है। आदेश - अतः, प्रार्थना पत्र प्रार्थिनी स्वीकार किया जाता है। न्यायालय द्वारा से जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 26/10/2018 मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाकर जाहर सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी (भरतपुर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.01.19 16:24:06 IST
Reason: SelfAttested